पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक 2087/अका./2004 रायपुर, दिनांक : 09/11/2004
16/11/2004

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की मंगलवार दिनांक 9 नवम्बर 2004 को सांय 5 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1.	प्रोफेसर बी.पी.चन्द्रा, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर ओ.पी.वर्मा, रेक्टर	सदस्य
3.	प्रोफेसर शैलेन्द्र सराफ	सदस्य
4.	प्रोफेसर आर.पी.दास	सदस्य
5.	प्रोफेसर जी.एल.मूंदडा	सदस्य
6.	प्रोफेसर बी.के.मेहता	सदस्य
7.	प्रोफेसर हर्षवर्धन तिवारी	सदस्य
8.	प्रोफेसर एम.ए.खान	सदस्य
9.	डा ए.के.बंसल	सदस्य
10.	डॉ.जी.बी.गुप्ता	सदस्य
11.	श्री रमेश नैयर	सदस्य
12.	श्री भागवत चन्द्राकर	सदस्य
13.	श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त:

सर्वप्रथम कुलपति ने आज की बैठक में पहली बार उपस्थित कार्यपरिषद के सदस्य डॉ.जी.बी.गुप्ता एवं डॉ.बी.के.मेहता को कार्यपरिषद के सभी सदस्यों की ओर से स्वागत किया। कुलपति ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का भी स्वागत किया। सभी सदस्यों को विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं विनियम की प्रतियाँ प्रदान की गई।

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.09.2004 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.9.2004 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। साथ ही (1) विषय क्रमांक 6 में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में सेवारत विश्रामावकाश का उपभोग करने वाले शिक्षकों को अर्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही से कार्यपरिषद की आगामी बैठक में सदस्यों को अवगत कराया जावे, एवं (2) विषय क्रमांक 10 में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की तरह विश्वविद्यालय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों को भी चिकित्सा सुविधा का लाभ दिये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग से सतत रूप से प्रयास करते हुये अनुमति प्राप्त किया जावे।

2. स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2004 एवं 18.10.2004 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय सर्वसम्मति से स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.9.2004 एवं 18.10.2004 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद की आगामी बैठक में महाविद्यालयों के निरीक्षण की स्थिति से अवगत कराया जावे।

3. विश्वविद्यालय क्रीड़ा समिति की दिनांक 04.09.2004 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय क्रीडा समिति की दिनांक 4.9.2004 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में त्रूटिवश तिथि दिनांक 20.11.2004 का उल्लेख है। अतः इस त्रूटि का सुधार होने के पश्चात् ही कार्यपरिषद में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावे।

4. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 12.10.2004 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 12.10.2004 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह निर्देशित किया गया कि (1) कार्यवृत्त के विषय क्रमांक 1 में भवन समिति की बैठक दिनांक 6.1.2004 के निर्णय का कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन संबंधी तिथि से अवगत कराया जावे, (2) कार्यपरिषद सदस्य डॉ.जी.बी.गुप्ता ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों के समस्त क्वार्टर के रख-रखाव संबंधी कार्यवाही भी प्राथमिकता के आधार पर कराया जावे। साथ ही विश्वविद्यालय के सभी आवासों के विद्युत वायरिंग एवं अन्य सिविल मरम्मत संबंधी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्यपरिषद के अनुमोदन के पश्चात् पूर्ण किया जावे, एवं (3) यह निर्णय लिया गया कि वाटर ट्रीटमेंट संबंधी प्रस्ताव बनाकर बजट प्रस्तुत किया जावे।

5. डॉ. (कु.) मिताश्री मित्रा, आचार्य, मानव विज्ञान अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को प्रोफेसर (केरियर एडवांसमेंट स्कीम) के पद पर परिवीक्षा अवधि समाप्ति तक धारणाधिकार प्रदान करने के आवेदन पत्र पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिनियम क्रमांक 31 की कंडिका 11 में इस हेतु प्रावधान उल्लेखित है। तद्नुसार कार्यवाही किया जावे।

6. कक्ष अधिकारी श्री टी. व्ही. दिवाकरण के कुलपति के सचिव के पद पर पदोन्नति निरस्त कर पदावनत किये गये प्रकरण पर अभिमत देने के लिए कार्य परिषद द्वारा दिनांक 21.09.2004 को गठित समिति से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार करना ।

निर्णय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.9.2004 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार गठित समिति ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15 (4) के तहत् दिनांक 15.1.1996 को पारित आदेश को मान्य करते हुये दिनांक 21.6.1991 से सचिव पद पर पदोन्नति प्रदान करने की अनुशंसा की गई है एवं इसी अनुरुप आर्थिक लाभ दिनांक 15.1.1996 से प्रदान की जावे। तद्नुसार अनुमोदन किया गया।

7. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15 (4) के अंतर्गत कुलपति जी ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों / कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2004 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दर 4 प्रतिशत प्रतिमाह की स्वीकृति प्रदान करने की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

8. वार्षिक परीक्षा–2005 के लिए परीक्षा केन्द्र निर्धारण शुल्क में वृद्धि कर प्रसारित की गई पत्र की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

9. डॉ. रामाधार शर्मा एवं विश्वविद्यालय में कार्यरत अन्य तकनीकी अधिकारियों का रू. 2200–4000 वेतनमान स्वीकृति के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय डॉ. रामाधार शर्मा एवं विश्वविद्यालय में कार्यरत अन्य सभी तकनीकी अधिकारियों/वरिष्ठ तकनीकी सहायक को वेतनमान रूपये 2200–4000 पांचवे वेतनमान में रूपये 8000–275–13500 को प्रदान करने के प्रकरण पर परीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा दी गई अनुशंसा को मान्य करते हुये यह वेतनमान दिनांक 25.7.1997 से देने हेतु अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इनके समकक्ष वेतनमान प्राप्त करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी यह सुविधा दी जावे।

10. पुनर्मूल्यांकन में कार्यरत कर्मचारियों को प्राप्त पारिश्रमिक में वृद्धि करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्षिक परीक्षा–2004 के पुनर्मूल्यांकन कार्य हेतु निम्नानुसार पारिश्रमिक वृद्धि का अनुमोदन किया गयाः

तृतीय वर्ग के कर्मचारियों को रूपये 3.75/– प्रति उत्तर–पुस्तिका
चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को रूपये 1.25/– प्रति उत्तर–पुस्तिका

पूरक विषय सूची :–

11. विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थायी समिति की दिनांक 05.11.2004 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त (बिन्दु कमांक 5 एवं 7 को छोड़कर) को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

12. जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए सत्र 2004–2005 के लिए प्रस्तावित बजट को वित्तीय समिति की अनुशंसा को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए सत्र 2004–2005 के लिए प्रस्तावित बजट का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि बायोटेक्नोलाजी अध्ययन शाला से संबंधित कोई राशि/फंड बायोसाइंस अध्ययन शाला में शेष हो या देना हो तो बायोटेक्नालाजी अध्ययन शाला को देने की कार्यवाही की जावे।

13. वार्षिक परीक्षा सत्र 2004–2005 की उत्तर –पुस्तिकाओं के निर्माण हेतु कागज क्रय के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

14. प्रो. एम.ए. खान के पत्र दिनांक 28.10.2004 विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण के निपटारे के लिये कुलसचिव के नियंत्रण में पेंशन की कार्यवाही शासन के नियमानुसार छः माह पूर्व पूर्ण कर लिया जावे। प्रकरण में सतत्

रूप से संचालनालय से संपर्क रखा जावे तथा समस्त बिंदुओं का निराकरण शीघ्रतापूर्वक किया जावे। पेंशन अदालत के लिये भी प्रयास किया जावे। पेंशन प्रकरण के शीघ्र निपटारे के लिये श्री रमेश नैयर ने अपनी सेवा देने की सहमति व्यक्त की है। इसके लिये आवश्यकतानुसार एक सेल भी गठित की जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि पेंशन प्रकरण के संबंध में कार्यपरिषद को समय-समय पर अवगत कराया जावे।

15. कु. तस्नीम सिद्दीकी, एम.बी.ए. प्रथम सेमेस्टर अनुक्रमांक 4749 के अनुचित साधन प्रकरण पर कुलाधिपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय आदेश को निरस्त करने एवं छात्रा की सभी पूर्व परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा करने की सूचना देने सम्बन्धी ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

16. डॉ. शैलेन्द्र सराफ एवं श्री एस.जे. डहरवाल को क्रमशः आचार्य एवं व्याख्याता पद पर स्थायीकरण के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ शैलेन्द्र सर्राफ को दिनांक 6.11.2002 से एवं श्री एस. जे.डहरवाल को दिनांक 29.10.2002 से स्थायी करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति–

17. विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान के बजट 2004-2005 का अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

18. विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान में संचालक की नियुक्ति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय प्रोफेसर जी.एल.मूंधडा विभागाध्यक्ष रसायन अध्ययन शाला को विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान के संचालक पद पर नियुक्ति की सूचना ग्रहण की गई।

19. मनसा महाविद्यालय, कुरुद के प्राचार्य के पद पर चयन समिति द्वारा की गई नियुक्ति पर विचार करना।

निर्णय कार्यपरिषद के समक्ष चयन समिति द्वारा अनुशंसित बंद लिफाफा खोला गया जिसमें चयन समिति के द्वारा मनसा महाविद्यालय के प्राचार्य पद के लिये चयनित उम्मीदवार कु.पद्मा अग्रवाल के नाम का अनुमोदन किया गया।

20. श्री जगेलाल गहरे, व्याख्याता, तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन अध्ययन शाला के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से श्री जगेलाल गहरे के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उन्हें वरिष्ठ वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

21. विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकीय पदों के लिये हुये साक्षात्कार के विरूद्ध न्यायालयीन स्थगन आदेश के संबंध में।

निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के संबंध में सूचना ग्रहण की गई।

22. विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पदोन्नति प्रकरणों पर विचार करना।

निर्णय कर्मचारियों के पदोन्नति प्रकरणों के निपटारे के लिये एक समिति का गठन की गई जिसमें प्रोफेसर ओ.पी.वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एच.व्ही.तिवारी, प्रोफेसर बी.के.मेहता एवं श्री रमेश नैयर इसके सदस्य होंगे। प्रकरण के प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी डॉ.बी.पी.साहू होंगे।

अध्यक्ष की अनुमति से सभी सदस्यों को उनके पूर्ण सहयोग के लिये धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक संपन्न हुई।

आदेशानुसार,

(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन क्र.2088/अका./2004 रायपुर, दिनांक : 9.11.2004 16/11/2004

प्रतिलिपिः–

1. प्रो. बी.पी. चन्द्रा, कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
2. डॉ0 ओ.पी. वर्मा , कुलाधिसचिव , पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
3. डॉ. एस.सराफ , फार्मेसी संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
4. डॉ. आर.पी. दास आचार्य, एम.बी.ए. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
5. प्रोफेसर जी.एल.मूंदड़ा , आचार्य , रसायन अध्ययन शाला , पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
6. डॉ. बी.के. मेहता संकायाध्यक्ष , शिक्षा संकाय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
7. डॉ0 हर्षवर्धन तिवारी , आचार्य एवं अध्यक्ष इलेक्ट्रानिक्स अध्ययन शाला , पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
8. डॉ0 एम.ए. खान , आचार्य एवं अध्यक्ष , इतिहास अध्ययन शाला , पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
9. डॉ. अशोक कुमार बसंल , प्राचार्य , बी.पी. देव महाविद्यालय. कांकेर ।
10. डॉ. (कु.) हेमलता महोबे, प्राचार्य , दिग्विजय महाविद्यालय. राजनांदगॉव ।
11. डॉ. जी.डी. साव , प्राचार्य, शास. महाविद्यालय, दुर्ग ।
12. डॉ. (कु.) उर्मिला रानी गुप्ता प्राचार्य, शास. महाविद्यालय बलौदा बाजार ।
13. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ,डी.के.एस. भवन , रायपुर ।
14. सचिव, वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन , रायपुर ।
15. डॉ0 जी.बी. गुप्ता, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, मेडिसीन विभाग, पं. जे.एल.एन.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर ।
16. श्री रमेश नैयर , वरिष्ठ पत्रकार , दैनिक भास्कर , रायपुर ।
17. श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा , जिला –दुर्ग
18. प्रोफेसर आर.सी. मेहरोत्रा, सेवा निवृत्त आचार्य, भाषा विज्ञान एवं भाषाऐं अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।

19. पं. रामसुन्दर दास महंत, विधायक, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर ।

20. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।

21. वित्त अधिकारी / आवासीय अंकेक्षण / उप कुलसचिव गोपनीय / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रशासन / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा / सेमेस्टर परीक्षा, विश्वविद्यालय यंत्री,

22. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव जी के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

(20–22) की ओर सूचनार्थ ।

कुलसचिव